

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश, अशोकनगर, श्रंखला न्यायालय चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
 (समक्ष – सैफी दाऊदी)

आपराधिक अपील क. 231 / 17
संस्थित दिनांक 17.11.17

1. बुन्देल सिंह पुत्र महीप सिंह आयु 48 वर्ष
2. चन्दन सिंह पुत्र महीप सिंह आयु 61 वर्ष
3. चाली सिंह पुत्र लाल सिंह आयु 36 वर्ष
जाति यादव सभी का धंधा खेती, समस्त
निवासीगण ग्राम निदानपुर तहसील चंदेरी जिला
अशोकनगर म.प्र.

----- अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण
विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वन विभाग परिक्षेत्र चंदेरी
 जिला अशोकनगर, म.प्र.

----- प्रत्यर्थी / अभियोजक

अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा :- श्री इदरीश पठान अधिवक्ता ।
 प्रत्यर्थी / अभियोजन द्वारा :- श्री मुकेश राजपूत, अपर लोक अभियोजक ।

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक को पारित किया गया)

1. अपीलार्थीगण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभियुक्तगण संबोधित किया जायेगा) ने वर्तमान अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. आपराधिक प्रकरण क्रमांक 84 / 2011 में श्री आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी चंदेरी द्वारा पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 09.11.17 जिसके द्वारा समस्त अभियुक्तगण को धारा 26''ज'' भारतीय वन अधिनियम के आरोप हेतु प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 माह के साधारण कारावास एवं 200-200 / - रुपये के अर्थदंड से तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम में 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है, उक्त दंडादेश से व्यथित होकर ही वर्तमान अपील अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।
3. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार रहे हैं कि वनपाल रफीक खान अ.सा.1 द्वारा दिनांक 18.01.2011 को हमराह वनकर्मी सब रेंज नयाखेड़ा के स्टाफ के बीट गोधन के कक्ष क्रमांक आर एफ 103 में पहुंचे तो लगभग डेढ़-दो वीघा वन भूमि पर गेहूं की अंकुरित होती हुई फसल बागड़ लगी हुई पाई तथा मौके पर पानी देने हेतु प्लास्टिक लेजम फैली हुई पायी गयी। उस समय मौके पर कोई नहीं मिला, जिससे मौके पर पंचनामा बनाया गया और सूचना परिक्षेत्र कार्यालय चंदेरी में पेश की गयी। वनपाल रफीक खान दिनांक 19.01.11 को पुनः कक्ष क्रमांक आर.एफ. 103 में पहुंचे तो पुनः अतिक्रमण क्षेत्र पर बागड़ लगी पायी तथा अभियुक्त बुंदेल सिंह मौके पर मिला जो महिलाओं और बच्चों को आगे करके भाग गया जिन्होंने मौके से बागड़ नहीं हटाने दी। इस घटना के बाद भी पंचनामा बनाया गया और सूचना परिक्षेत्र कार्यालय को प्रेषित की गयी। पश्चात् दिनांक 21.01.11 को पुनः रफीक खान सहित अन्य वनकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां अभियुक्त मिले जिन्होंने मौके से अतिक्रमण हटाने दिया और जमीन छोड़ने से इंकार किया गया। उक्त घटना के उपरांत मौके पर ही पंचनामा बनाया गया तथा गेहूं की जप्ती कर जप्ती पंचनामा बनाकर गेहूं की अंकुरित फसल अभियुक्त चंदन सिंह को सुपुर्द की गयी। अभियुक्तगण के कथन लेखबद्ध उन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया तथा वन अपराध की पीओआर अंतर्गत धारा 26 "जे" भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत वनपाल हनीफ उल्ला के द्वारा काटी गयी तथा संपूर्ण कार्यवाही संपन्न होने पर अभियोग पत्र विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा धारा 26 "जे" भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया और अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. संपन्न किये जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए, स्वयं को असत्य फसाया जाना अभिकथित कर अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना अभिकथित किया।
5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का मूल्यांकन कर अभियुक्तगण पर उपरिलिखित दंडादेश अधिरोपित किया। उक्त दंडादेश के विरुद्ध ही वर्तमान आपराधिक अपील विचाराधीन है।
6. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय में जो आधार उल्लेखित किये हैं, वे त्रुटिपूर्ण हैं। प्रकरण के साक्षीगण परस्पर हितबद्ध साक्षीगण हैं, जिनकी

साक्ष्य पर भरोसा कर विद्वान विचारण न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अपीलार्थीगण वर्ष 2011 से विचारण का सामना कर रहे हैं ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश कठोर दंडादेश है। साक्षीगण के कथनों में गंभीर विसंगतियां एवं विरोधाभास विद्यमान है। उक्त तथ्य पर विचार नहीं कर विद्वान विचारण न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 09.11.2017 को अपास्त कर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

7. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क के आलोक एवं अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य तथा विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किये जाने पर यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :-

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की दोषसिद्धि का दिया गया निष्कर्ष अभिलेखगत साक्ष्य एवं सुसंगत विधि के अनुकूल है ? “यदि हां तो”
2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को प्रदत्त दंडादेश विधि के अनुकूल है ?

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 :-

8. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षीगण रफीक खान अ.सा.1, हनीफ लखन अ.सा.2, हरीशंकर शर्मा अ.सा.3, राधेलाल अ.सा.4, ओमप्रकाश श्रीवास्तव अ.सा.5, का अभिकथन अंकित कराया गया है।

9. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपील मेमो में अभिवाचित तथ्यों पर ही अपने तर्कों को अवलंबित किया गया है। जबकि अभियोजन की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश को विधि अनुकूल होकर कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं होना तथा उक्त निर्णय एवं दंडाज्ञा विधि अनुकूल होना अपने तर्कों में अवलंबित किया है।

10. साक्षी रफीक खान अ.सा.1 के कथनानुसार दिनांक 21.01.11 को परिक्षेत्र सहायक के नयाखेड़ा सब रेंज पर पदस्थ रहते हुए वह न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षीगण रफीक खान अ.सा.1, हनीफ लखन अ.सा.2, हरीशंकर शर्मा अ.सा.3, राधेलाल अ.सा.4, ओमप्रकाश श्रीवास्तव अ.सा.5 के साथ वह गोधन वीट कक्ष क्रमांक आर.एफ 103 में गया था तो वन भूमि में गेहूं की अंकुरित फसल चारों ओर बागड़ तथा मौके पर चंदन बुंदेल सिंह व चार्ली का मिलना कथित

करते हुए पंचनामा प्रदर्श पी 1 लगायत पंचनामा प्रदर्श पी 11 की कार्यवाही करते हुए अन्य कार्यवाहियों के किये जाने का अभिकथन भी मुख्य परीक्षण में अभिकथित कर प्रदर्श पी 14 तक के दस्तावेज अंतिम प्रतिवेदन के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करना कथित करता है।

11. इस साक्षी के कथन का समर्थन साक्षीगण हनीफुल्हा, हरीशंकर शर्मा, राधेलाल, ओमप्रकाश श्रीवास्तव क्रमशः अ.सा.2 लगायत 5 द्वारा भी कथित है। यद्यपि उक्त साक्षीगण भी वन कर्मिगण हैं, किन्तु उनका कोई विद्वेश अभियुक्तगण से होना उनके प्रतिपरीक्षण से प्रकट नहीं है। प्रदर्श पी 9, 10सी का नक्शा वन भूमि को दर्शित किये जाने के संबंध हैं, जिसमें दर्शित अतिक्रमण स्थल वन भूमि के अंतर्गत सम्मिलित होना प्रकट है। मौके पर बनाये गये पंचनामा प्रदर्श पी 11सी की अंतर्वस्तुओं को भी अभियुक्तगण द्वारा चुनौति प्रदत्त नहीं की गयी है। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 11 पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर हैं, जो उनके मौके पर मौजूद होने के तथ्य को प्रकट करते हैं। मौके की भूमि का स्वयं की भूमि होने के संबंध में कोई दस्तावेज अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेखगत साक्ष्य का विधि अनुकूल मूल्यांकन निष्कर्षित कर अभियुक्तगण को सिद्धदोष घोषित करने में कोई विधि त्रुटि कारित नहीं की है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि कारित नहीं की है।

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 2 :-

12. जहां तक अभियुक्तगण को प्रमाणित आरोप हेतु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त दंडादेश का प्रश्न है ? अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणन नहीं किये जाने से यह उनका प्रथम अपराध होना प्रकट है। अभियुक्तगण वर्ष 2011 से विचारण का सामना कर रहे हैं। अभियुक्तगण द्वारा वन भूमि में खेती करने के द्वारा वन को कोई तात्त्विक महत्व का नुकसान पहुंचाये जाने का तथ्य भी प्रमाणन नहीं कराया गया है। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण द्वारा वन भूमि में कोई पक्का निर्माण कर लिया जाना भी अभिलेख पर प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रदत्त कारावास दंडादेश कठोर दंडादेश होने से उन्हें प्रदत्त तीन-तीन माह के साधारण कारावास के निष्कर्ष को अपास्त कर उसे संशोधन द्वारा न्यायालय उठने तक के कारावास में तथा अभियुक्तगण को प्रदत्त 200-200/- रुपये अर्थदंड को परिवर्धित कर 1500-1500/- रुपये के अर्थदंड में और अर्थदंड अदा न करने पर व्यतिक्रम हेतु व्यतिकारी अभियुक्त को 07 दिवस के साधारण कारावास को पृथक से भुगताये जाने के दंडादेश से दंडित किया जाता है।

13. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा कोई मुद्देमाल नहीं है।
15. अभियुक्तगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में जमा कराई गयी अर्थदंड की राशि उनके वर्तमान अर्थदंड की राशि में समायोजित की जाये।
16. उक्तानुसार अपील निराकृत की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया
गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,
अशोकनगर (म.प्र.)
दिनांक— 28.02.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश
अशोकनगर (म.प्र.)